न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2023/413
मुकदमा नम्बर 101/2023 दर्ज दिनांक– 29.09.2023

रोहिताश पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी नवलडी, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री महेश नारनोलिया
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 14.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 522 पुराना 344 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1790/19 रकबा 1.07 है0, खसरा नं. 1796/600 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 22 रकबा 2.05 है0, खसरा नं. 51 रकबा 0.21 है0, खसरा नं. 592 रकबा 0.35 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.79 है0 जिसमें आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में रोहिताश पुत्र चुनीलाल के स्थान पर रोहिताश कुमार पुत्र बीरबल दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ कि ओर से पत्रांक 917 दिनांक 18.03.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसके अनुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में खाता सं. 522 की भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी की घोषणा का है। इसलिए खातेदारी की घोषणा के लिये आवश्यक पक्षकारों को संयोजित करते हुये धारा 88 आर.टी.ए. के तहत दावा पेश किया जाना चाहिए था। आवेदक जरिये दावा अपने साक्ष्यों द्वारा खातेदारी साबित करे।

लिहाजा प्रा. पत्र पोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू